



Cooperative and beyond...

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

राजस्थान में एच एंड टी ठेकेदारों की पूर्व-योग्यता

कृमको राजस्थान राज्य में ब्लॉक रोक के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर प्राप्त एचडीपीई / बीओपीपी बैगों में 45 / 50 किलोग्राम वजन वाले उर्वरकों की निकासी, हैंडलिंग और अग्रेषण, गोदामों में हैंडलिंग और उसके बाद सहकारी खुदरा केंद्रों, फीडर गोदामों आदि जैसे विभिन्न स्थानों तक परिवहन के लिए हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों की पूर्व-योग्यता / पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

इच्छुक, प्रतिष्ठित और सिद्ध क्षमताओं वाले आर्थिक रूप से सक्षम एच एंड टी ठेकेदार सीएसएम (मुख्य राज्य प्रबंधक, विपणन) से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें हमारी वेबसाइट: <https://kribhco.net/pages/other/tender.php> से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण किए गए दस्तावेज वेबसाइट पर पंजीकरण करके निर्धारित प्रारूप में 05 दिसम्बर, 2025 को या उससे पहले, शाम 05:00 बजे तक जमा किए जाने चाहिए।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, सीएसएम (मुख्य राज्य प्रबंधक, विपणन), कृमको से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 09:30 बजे से शाम 06:00 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है। कृमको अपने विवेकानुसार किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने, या आवेदन प्राप्ति, स्वीकृति और / या खोलने की अंतिम तिथि को स्थगित / विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में कृमको का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

मौजूदा ठेकेदारों को भी पूर्व-योग्यता के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। विज्ञापन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, साथ ही आवश्यक दस्तावेजों जैसे आवेदन पत्र, सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र और शपथ पत्र के निर्धारित प्रारूप भी उपलब्ध हैं।

मुख्य राज्य प्रबंधक (विपणन), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

दूसरी मंजिल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर- 302001

फोन नंबर : 9116002197, 8696910937, ईमेल : rsrathor@kribhco.net